भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3727

जिसका उत्तर 18 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है

छत्तीसगढ़ में कोयला निष्कर्षण

3727. श्री दुष्यंत सिंहः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राजस्थान में राज्य और केंद्र सरकार दोनों से आवश्यक अनुमोदन मिलने के बावजूद बिजली संयंत्रों के लिए छत्तीसगढ़ से कोयले के निष्कर्षण से जुड़ी प्राथमिक चुनौतियां और चिंताएं क्या हैं;

(ख) छत्तीसगढ़ से राजस्थान तक कोयले के निष्कर्षण, धुलाई और ढुलाई से संबंधित पर्यावरणीय और संभारतंत्र-संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए कार्यान्वित क्या विशिष्ट उपाय किए जा रहे हैं और इन प्रक्रियाओं में शामिल अभिकरणों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार कोयला निष्कर्षण प्रक्रिया के द्वारा पर्यावरणीय नियमों और संधारणीय अभ्यासों का पालन किया जाना किस प्रकार सुनिश्चित करती है और स्थानीय समुदायों तथा पारिस्थितिक तंत्र पर किसी भी नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) राजस्थान में बिजली उत्पादन के लिए कोयले की आपूर्ति की वर्तमान स्थिति क्या है और कोयला की मात्रा सहित इसे प्राप्त करने वाले बिजली संयंत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार संभावित आपूर्ति व्यवधानों या कमी का समाधान किस प्रकार कर रही है?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) : राजस्थान में विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति करने के लिए राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरआरवीयूएनएल) को आवंटित छत्तीसगढ़ राज्य के परसा पूर्व और कांता बसन कोयला ब्लॉक तथा परसा कोयला ब्लॉक को सभी स्वीकृतियां प्राप्त हो गई हैं।

तथापि, वन भूमि को सौंपने संबंधी चुनौतियां मौजूद हैं।

(ख) : संपूर्ण कोयला प्रेषण यंत्रीकृत कोयला कन्वेयर बेल्ट, रैपिड लोडिंग सिस्टम और रेलवे रेक प्रेषण प्रणाली को शामिल करते हुए फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी के माध्यम से किया जाता है। विद्युत क्षेत्र को रेकों की अधिक आपूर्ति को सुकर बनाने के लिए रेलवे कोयले की निकासी को सुविधाजनक बनाने के लिए मांग के अनुसार नियमित रूप से वैगनों को शामिल कर रही है। इसके अतिरिक्त, पर्यावरणीय संरक्षण उपायों में कोयला खनन के लिए अधिगृहीत वन भूमि के संबंध में प्रतिपूरक वनीकरण (सीए) शामिल है। इसके अलावा, मियावाकी वृक्षारोपण, साल रिजेनरेशन और ऊपरी मिट्टी का संरक्षण आदि जैसे विभिन्न तरीकों का उपयोग करके व्यापक स्तर पर वनीकरण उस स्थान/क्षेत्र में किया जा रहा है जहां कोयला निकाला गया है। कोयला निष्कर्षण और परिवहन में विभिन्न एजेंसियां आरआरवीयूएनएल, खान विकास ऑपरेटर (एमडीओ), स्थानीय सेवा प्रदाता, और स्थानीय महिला स्वयं सहायता समूह और परियोजना प्रभावित व्यक्ति शामिल हैं।

(ग) : सरकार जिस प्रकार यह सुनिश्चित करती है कि स्थानीय समुदायों और पारिस्थितिकी तंत्रों पर किसी नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए कोयला निष्कर्षण संबंधी प्रक्रिया में पर्यावरणीय विनियमों और संधारणीय पद्धतियों का अनुपालन किया जा रहा है, वे निम्नानुसार हैं

(i) नई खान खोलने के लिए, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम और नियम, 1986 और ईआईए अधिसूचना, 2006 और बाद के संशोधनों के तहत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) से पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) प्राप्त की जाती है। ईसी शर्तों का अनुपालन करते हुए खानों का प्रचालन किया जाता है जिससे पर्यावरणीय संधारणीयता सुनिश्चित होती है।

(ii) वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के अनुपालन में वन भूमि वाली परियोजनाओं के मामले में एमओईएफएंडसीसी से पूर्व वन स्वीकृति भी प्राप्त की जाती है।

(iii) विस्तार परियोजनाओं के मामले में (उत्पादन क्षमता और/या भूमि क्षेत्र में वृद्धि के लिए) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम एवं नियम, 1986 और ईआईए अधिसूचना, 2006 और बाद के संशोधनों के अंतर्गत एमओईएफएंडसीसी से पूर्व ईसी प्राप्त की जाती है।

(iv) ईसी प्राप्त होने के बाद, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से स्थापना के लिए सहमति (सीटीई) और संचालन के लिए सहमति (सीटीओ) भी प्राप्त की जाती हैं।

(v) परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान, निर्धारित ईसी शर्तों की पूर्ति के लिए पर्यावरण अनुपालना रिपोर्ट एमओईएफएंडसीसी को प्रस्तुत की जाती है।

(vi) ईसी/सीटीई/सीटीओ शर्तों के अनुपालन में, परिवेशी वायु गुणवत्ता, बहिस्राव गुणवत्ता, ध्वनि स्तर की निगरानी और भूजल (स्तरों और गुणवत्ता दोनों) के संबंध में नियमित पर्यावरणीय निगरानी की जाती है और रिपोर्टें एमओईएफएंडसीसी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) और केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) को प्रस्तुत की जाती हैं।

(vii) संविधि के अनुपालन में, प्रत्येक प्रचालनरत खान के लिए पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष का वार्षिक पर्यावरणीय (लेखा परीक्षा) विवरण संबंधित एसपीसीबी को हर वर्ष 30 सितंबर को या उससे पहले प्रस्तुत किया जाता है।

(viii) ईसी और सहमति शर्तों के अनुपालन में, विभिन्न प्रदूषण नियंत्रण उपाय और पर्यावरण संधारणीयता उपाय किए जाते हैं जिन्हें नियमित रूप से मॉनीटर किया जाता है और निरंतर सुदृढ़ किया जाता है।

(ix) आस-पास के समुदायों में शुरू की गई संकेन्द्रित सीएसआर गतिविधियों के साथ- साथ पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित सभी अपेक्षित अनुपालनों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है।

(x) खनन स्थल पर एमओईएफएंडसीसी अधिकारियों और राज्य वन विभाग तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का तिमाही निरीक्षण किया जा रहा है और तिमाही एवं अर्धवार्षिक रिटर्न का मूल्यांकन विभिन्न सांविधिक एजेंसियों को प्रस्तुत किया जा रहा है।

(घ) : वर्ष 2024-25 (अप्रैल-अक्टूबर) के दौरान कोयला प्राप्त कर रहे घरेलू कोयला आधारित (डीसीबी) विद्युत संयंत्रों एवं इनके द्वारा प्राप्त की जा रही मात्रा के विवरण के साथ-साथ राजस्थान में विद्युत उत्पादन के लिए कोयला आपूर्ति की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:

(आंकड़े हजार टन में)

क्र.सं.	राजस्थान में स्थित विद्युत संयंत्र	क्षमता (मेगावाट)	घरेलू प्राप्ति	आयात प्राप्ति	कुल प्राप्ति	कुल खपत
1	छाबड़ा-I पीएच-1 टीपीपी	500	971	0	971	1337
2	छाबड़ा-I पीएच-2 टीपीपी	500	1789	0	1789	1525
3	छाबड़ा-II टीपीपी	1320	2627	0	2627	2662
4	कालीसिंध टीपीएस	1200	2632	0	2632	2591
5	कोटा टीपीएस	1240	4046	0	4046	3931
6	सूरतगढ़ टीपीएस	1500	3522	0	3522	3493
7	सूरतगढ़ एसटीपीएस	1320	2299	0	2299	2325
8	अदानी पावर लिमिटेड कवाई टीपीपी	1320	2312	994	3306	3088
	कुल	**8900**	**20196**	**994**	**21190**	**20953**

वर्ष 2024-25 (अप्रैल-अक्टूबर) के दौरान, उपरोक्त संयंत्रों में प्राप्ति खपत से अधिक थी। इसके अलावा, 11.12.2024 तक की स्थिति के अनुसार, राजस्थान में स्थित डीसीबी संयंत्रों में उपलब्ध कोयला भंडार 15.5 लाख टन (एलटी) था, जो इन संयंत्रों को औसतन लगभग 13 दिनों के लिए 85% पीएलएफ पर चलाने के लिए पर्याप्त था।

(ङ.) : राजस्थान में स्थित विद्युत संयंत्रों सहित विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति एक सतत प्रक्रिया है। कोयला कंपनियों तथा विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, रेल मंत्रालय, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) के प्रतिनिधियों वाले अंतर-मंत्रालयी उप समूह, जो ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रचालनात्मक निर्णय लेने हेतु नियमित रूप से बैठक करता है, द्वारा भी कोयले की आपूर्ति की निरंतर निगरानी की जाती है।

इसके अलावा, कोयला आपूर्ति और विद्युत उत्पादन क्षमता में संवर्धन की निगरानी करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का भी गठन किया गया है जिसमें अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड; सचिव, कोयला मंत्रालय; सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और सचिव, विद्युत मंत्रालय शामिल हैं। सचिव, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और अध्यक्ष, सीईए को आईएमसी द्वारा आवश्यकता पड़ने पर विशेष आमंत्रिती के रूप में सहयोजित किया जाता है।

****